खबर संक्षेप

सड़क हादसे में शिक्षिका की मौत

शहडोल। जिले के अमलाई में रहने वाली 29 साल की दिव्या सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। दिव्या एक निजी विद्यालय में शिक्षिका थी। वह अपनी मां से जबलपुर प्रशिक्षण का बहाना बनाकर घूमने के लिए गई थी। शहडोल में ट्रेन से उतरने के बाद उनका मार्ग बदल गया था। पुलिस के अनुसार, दिव्या को उनके मित्र हिमांशु मिश्रा ने स्टेशन से उतारा और उसे अपने साथ पहडिया पिकनिक मनाने के लिए ले गया। लौटते समय उनकी बाइक एक अन्य वाहन से टकरा गई, जिससे दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गईं। राहगीरों की मदद से दिव्या को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, हिमांशु का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मां ने बताया कि दिव्या कॉलेज की पढ़ाई के दौरान शहडोल में किराए पर कमरा लेकर रहती थी। इस दौरान उसकी हिमांशु से दोस्ती हुई थी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दोस्ती इस तरह खत्म होगी। परिवार के एक करीबी मित्र ने कहा कि दिव्या एक होनहार और मेहनती थी। वह हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता देती थी। वही पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

खाद्य सामग्री की सतत आपूर्ति सामान्य जनमानस तक रहे सुलभ

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.केदार सिंह ने जिला आपूर्ति नियंत्रक को पत्र जारी किया है कि वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत आपात परिस्थिति में जिले में पर्याप्त खाद्य सामग्री की सतत आपूर्ति सामान्य जनमानस तक सुलभ रहे। जिले में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता की जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि लोग खाद्य सामग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भण्डारण नहीं करें तथा जमाखोरों पर सतत निगरानी रखी जाये।

अस्पतालों, स्कूल, छात्रावासों में अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था के निर्देश

शहडोल। कलेक्टर डॉ.केदार सिंह ने समस्त कार्यालय प्रमुख को पत्र जारी किया है कि अतिमहत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों जैसे अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों, शासकीय छात्रावासों एवं अन्य स्थान जहां अस्थाई रूप से रहने की व्यवस्था की जा सकती है, वहां जनरेटरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही ऐसे कार्यालय, संस्थाएं जहां पूर्व से ही जनरेटर उपलब्ध हैं उनकी यथा शीघ्र गरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें।

मिट्टी के पोषक तत्व और गुण बताता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड

शहडोल। भारत सरकार द्वारा स्वाइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत किसान सिंचित क्षेत्र में 2.5 एकड़ तथा असिंचित क्षेत्र में 10 एकड़ क्षेत्र से मिट्टी का नमूना लेकर उसकी जाँच कराते हैं। यह जाँच कृषि विभाग द्वारा की जाती है। कृषि विभाग द्वारा मिट्टी के नमूने लिए जाने पर इसकी जाँच पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। यदि किसान स्वयं सेंपल लेकर जाता है तो मिट्टी के नमूने की जाँच के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के किसान को तीन रुपए तथा सामान्य वर्ग के किसान को पाँच रुपए प्रति नमूना शुल्क देना होता है। मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रेंट की जाँच कराने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 30 रुपए तथा सामान्य वर्ग के किसानों को 40 रुपए शुल्क देना होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसान को उसके खेती की मिट्टी के गुणों तथा पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। मिट्टी के पोषक तत्व के आधार पर किसान को उचित फसल की सलाह दी जाती है। मिट्टी में यदि पोषक तत्व की कमी है तो उसके अनुरूप उर्वरक के उपयोग का सुझाव दिया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान के खेत की मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड है। इस कार्ड में किसान का नाम, सर्वे नम्बर, खेत का रकबा आदि लिखा रहता है। प्रत्येक तीन साल में मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज कराना आवश्यक है। हर किसान अपने प्रत्येक खेत की मिट्टी की जाँच कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं। इससे सही फसल के चयन, खाद के संतुलित उपयोग और जल प्रदूषण से बचाव में सहायता मिलती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक किसान के लिए बहुत उपयोगी है।

...तो साहब अब जिले में वर्दीधारी भी नहीं रहे सुरक्षित

बीच शहर सहायक उपनिरीक्षक को युवक ने पीटा

तीन दिन बाद भी वर्दीधारियों की पकड़ से दूर आरोपी

जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रही है, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब वर्दीधारी सरेराह मार खा रहे हैं, अपहरण कर मारपीट, संभागीय मुख्यालय में अपहरण के बावजूद कार्यवाही न होना पुलिस की सुस्त प्रणाली को दर्शाता है, हालाकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जिस दिन अपराधी चौक-चौराहों पर आम लोगों के साथ ही वर्दीधारियों की जमकर कुटाई करेंगे।

हरिभूमि न्यूज, शहडोल।

पुलिस पर हमला गाली-गलौज कर मारपीट करने जैसी घटना अब जिले में आम होती जा रही है, कोतवाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक के साथ आरोपी युवक ने बीच शहर में गाली-गलौज कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट की और जान से मार देने की धमकी के साथ पुलिस कर्मी का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया, और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, तीन दिन बीत गए, लेकिन पुलिस आरोपी को पकडऩे में नाकाम साबित हो रही है, हालाकि कोतवाली पुलिस के लिए संभवतः कोई बड़ी बात नहीं है, बीते दिनों नाबालिग का अपहरण के मामले में अपराध दर्ज करने की बातें सामने आई, अपहरणकर्ता शहर में घूमता रहा, लेकिन वर्दीधारी आज तक उस पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं या डालना नहीं चाहते, आश्चर्य की बात है कि कोतवाली का वर्दीधारी पिट गया, तीन दिन बाद हाईटेक हो चुकी वर्दी आरोपी को पकडऩे में नाकाम है।

यह है मामला

पीड़ित पुलिसकर्मी ने बताया कि वह गुरूवार सुबह प्रभात गश्त में शहर का भ्रमण कर रहे थे। तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के गुरुनानक चौक जब एएसआई सुरेश कुमार अहिरवार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कार जो सडक़ पर खड़ी होकर वाहनों को रोक रही है। इसके बाद पुलिसकर्मी ने तत्काल कार चालक के पास पहुंच उसे ऐसा करने से रोका, तो आरोपी युवक गौरव मिश्रा ने ड्यूटी कर रहे सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार अहिरवार के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने लगा और जान से मार देने की धमकी के साथ-साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। गाली-गलौज सुनकर आसपास खड़े लोग मौके पर दौड़ पड़े जिसे देख आरोपी मौके से भाग गया।

थाने में दर्ज हुई शिकायत

पीड़ित पुलिसकर्मी ने घटना के बाद थाने पहुंच मामले की शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस ने आरोपी गौरव मिश्रा के विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा एवं गाली-गलौज कर मारपीट एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं घटना को तीन दिन बीत गए लेकिन पुलिस आरोपी को पकडऩे में नाकाम है ,बीते माह पहले बुढार पुलिस पर भी ईरानी मोहल्ला में हमला हुआ था, लगातार पुलिस पर हमले के मामले जिले में सामने आ रहा है। वही पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

अपहरण के मामले में चुप्पी

बीते कुछ महीनों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जिससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बढ़ता जा रहा है, पुराने लंबित मामलों का निष्पादन भी बेहद धीमा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पिछले कुछ महीनों में शहर में अपराध की घटनाओं में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, चोरी, मारपीट के मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही, पुलिस अनुसंधान और निष्पादन की स्थिति सवालों के घेरे में आ गयी है, थाना क्षेत्रों में बीते माहों में चोरी की घटनाएं सामने आईं, बीते पखवाड़े शहर के ह्दय स्थल पर अपहरण कर नाबालिग को रखने के मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है, यह मीडिया से साझा नहीं किया, हालाकि अगर 6 लीटर कच्ची शराब पकड़ी जाती है तो, प्रेसनोट जारी करवाया जाता है, जबकि बड़े-बड़े मामलों में ऑनलाईन एफआईआर तक अपलोड नहीं की जाती।

दबंगों ने युवक का अपहरण कर की पिटाई

थाना प्रभारी हमारा रिश्तेदार है, जो करना है कर ले

हरिभूमि न्यूज, शहडोल।

जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ दबंगों ने बुरी तरह मारपीट की। मारपीट करने के बाद युवक का अपहरण कर आरोपी उसे अपने साथ ले गए और कार में दोबारा मारपीट की। इस दौरान गांव के एक व्यक्ति ने कार को देखकर सडक़ पर अपने वाहन को रोका और दबंगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया, इसके बाद पीड़ित युवक को उसके घर पहुंचाया गया। युवक को गंभीर चोटें आई हैं। दबंगों ने पीड़ित से कहा कि थाना प्रभारी हमारा रिश्तेदार है, तू कुछ भी कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। युवक ने बताया कि विवाद केवल इतना था कि अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। इसका उसने विरोध किया था। जिससे दबंग नाराज हो गए और अकेला पाकर युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी।

दबंगों ने की गुंडई

पीड़ित युवक तैयब खान पिता नासिर उम्र 26 वर्ष ने बताया कि वह थाना क्षेत्र के बरहा गांव का रहने वाला है। राजेश सिंह, देवेंद्र ठाकुर, सूर्या सिंह गांव के दबंग लोग हैं। पीड़ित युवक का आरोप है कि ये सभी मिलकर पास के नदी-नालों से रेत का अवैध उत्खनन कर दिन-रात गांव में इसका परिवहन करते हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि रेत से भरे ट्रैक्टर दिनभर उसके घर के सामने से गुजरते हैं, जो आरोपियों के हैं। उसने ट्रैक्टर चालकों से कहा था कि वे घर के सामने से रेत से भरे ट्रैक्टरों को तेजी से न ले जाया करें, क्योंकि घर के बाहर बच्चे खेलते हैं। इसी बात को लेकर ट्रैक्टर मालिक और गांव के दबंग राजेश सिंह, देवेंद्र, सूर्या और अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की। यह घटना बीती रात घटी।

बेरहमी से मारपीट

युवक ने बताया कि वह मोटरसाइकिल से बाजार से वापस गांव लौट रहा था, तभी गांव के जंगल में आरोपी अपने कई साथियों के साथ पहले से ही मौजूद थे। तैयब को आता देख उन्होंने उसे जंगल में रोक लिया और बेरहमी से मारपीट की। इतने पर भी जब आरोपियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वे युवक को कार में बैठाकर शहडोल-रीवा हाईवे पर स्थित एक ढाबे के सामने ले गए और वहां भी कार में उसकी पिटाई की। तभी मोटरसाइकिल से गुजर रहे गांव के एक शख्स ने कार को पहचान लिया और रुककर देखा तो, उसमें मारपीट हो रही थी। उस व्यक्ति ने हस्तक्षेप कर समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

जांच के बाद होगी कार्यवाही

पीड़ित युवक ने बताया कि उसे गंभीर चोटें आई हैं, उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर चोट के निशान हैं। दबंगों ने गांव के जंगल में ही उसकी मोटरसाइकिल को नदी में फेंक दिया। युवक का आरोप है कि दबंगों ने मारपीट के दौरान कहा था कि गोहपारू थाना प्रभारी हमारा रिश्तेदार है, तुझे जो करना है कर ले, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पुलिस का कहना है कि युवक थाने पहुंचा है, मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

38 लोग हुए ठगी का शिकार पुलिस ने दर्ज किया अपराध

शहडोल। जिले में एक ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का सनसनी खेज मामला धनपुरी थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां मृत कियोस्क संचालक और उसके परिजनों पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस धोखाधड़ी व ठगी के शिकार हुए 38 पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत थाने में की है। वही इस मामले में पुलिस में मृत कियोस्क संचालक सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार इस घोटाले की रकम 5 करोड़ 80 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। एक करोड़ से अधिक की रकम की ठगी का शिकार एक रिटायर्ड फौजी भी हुआ है, आशंका जताई जा रही है कि मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है, क्योंकि शिकायतों का सिलसिला अभी भी जारी है।

धनपुरी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 में अजय कुमार सिंह उफर् बंटी कियोस्क चलाने के साथ-साथ बंटी बिजनेस ग्रुप नाम का एक ट्रेडिंग कंपनी भी चलाता था, इस कारोबार में मृतक आरोपी के भाई, बहन, पत्नी सहित उसका एक साथी भी शामिल थे, स्थानीय लोगों को जमा रूपये में ज्यादा लाभ देने के नाम पर करोड़ों रूपये जमा कराया गया, लेकिन 8 अप्रैल को कियोस्क संचालक बंटी ने अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, इसके बाद ये लोग अपनी जमा पूंजी वापस लेने के लिए भटक रहे हैं और अधिक संख्या में लोग थाने में शिकायत करने पहुंच रहे है। पीड़ितों का आरोप है कि बंटी के मौत के बाद पहले रूपये वापस करने का आश्वासन दिया गया और अब बंटी के परिजन और मृतक के पार्टनर पैसे देने से मना कर रहे और विवाद करने पर आमादा है।

सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस ठगी का मुख्य आरोपी, जो कि एक कियोस्क बैंक संचालक था, कुछ दिन पहले आत्महत्या कर चुका है। उसने कथित तौर पर फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया, अब पीड़ितों का आरोप है कि उनके पैसे से ठगो ने संपत्ति और मकान खरीदे हैं। एक करोड़ दस लाख की ठगी का शिकार एक रिटायर्ड फौजी भी हुआ है, जो इस मामले का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। पीड़ितों की मांग है कि आरोपी के परिजनों की जांच की जाए, उनकी संपत्ति को जब्त कर ठगे गए पैसे की वापसी सुनिश्चित की जाए। वहीं इस मामले में धनपुरी थाना में करीब 38 से अधिक लोगों ने शिकायत की है। जिस पर पुलिस ने सुसाइट कर चुके मृतक बंटी व उसकी पत्नी, दो भाई और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

नेशनल लोक अदालत में हुआ प्रकरणों का निराकरण

शहडोल।

''राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय विशेष न्यायाधीश सुभाष सोलंकी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय विशेष न्यायाधीश सुभाष सोलंकी द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। जिला शहडोल में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्योहारी बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में कुल 22 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगरपालिका, राष्ट्रीयकृत बैंक, बी.एस.एन.एल आदि विभागों के स्टॉल लगाये गये।

2 करोड़ 78 लाख 88 हजार के एवार्ड

नेशनल लोक अदालत में कुल 1459 प्रकरणों का निराकरण हुआ, इनमें से 1031 प्रकरण प्रीलिटिगेशन के थे जबकि अन्य 428 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे । नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के कुल 53 प्रकरण लोक अदालत में रेफर किये गये थे जिसमे से 30 प्रकरणों में कुल मिलाकर 9802000 रूपये का एवार्ड पारित किया गया । चेक बाउंस के 80 रैफर प्रकरणों में 51 प्रकरण निराकृत हुये तथा 14641631 रूपये की राशि के राजीनामा किये गये । न्यायालय में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामलों में 278 प्रकरण रखे गये जिसमें से 214 का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ । वैवाहिक प्रकरणों के 44 प्रकरण रखे गये जिसमें से 37 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुये। सिविल, विद्युत आदि अन्य श्रेणी के 153 प्रकरण रखे गये जिनमें से 96 प्रकरण निराकृत हुये। कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित 608 राजीनामा योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गये जिसमें 428 प्रकरणों में राजीनामा हुआ एवं 27888753 रूपये की राशि एवार्ड एवं राजस्व प्राप्ति के रूप में प्रभावित हुई ।

जलकर के 110 प्रकरण निराकृत

प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 584 प्रकरणों में से 82 प्रकरण निराकृत हुये तथा 6274433 रूपये की राशि बैंको में जमा हुई । बिजली के 1012 पूर्ववाद प्रकरणों में से 774 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 958334 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी तरह नगरपालिका के जलकर के 381 प्रकरणों में से 110 प्रकरण निराकृत हुये और लगभग 247457 का राजस्व प्राप्त हुआ तथा अन्य प्रकरणों में जिनमें दूरसंचार, संपत्तिकर एवं अन्य प्रीलिटिगेशन के प्रकरण शामिल हैं के 69 प्रकरणों में से 65 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ जिसमें शासन को लगभग 331585 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 1459 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 2069 व्यक्ति लाभांवित हुए ।

इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर अध्यक्ष अधिवक्ता संघ राकेश सिंह बघेल, कुटुम्ब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कोल, राजेन्द्र सिंह सिंगार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपेन्द्र सिंह मडावी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्रीमती प्रीति सिंह बघेल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सुश्री दीप्ती चैहान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सुश्री श्वेता यादव व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सचिव अधिवक्ता संघ सतीश पाठक, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल इमरान खान, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल रामशंकर तिवारी न्यायालय के अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर, न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मंदिर में नवजात को छोड़ा

शहडोल।

जिले के बुढार थाना क्षेत्र के ग्राम धांगवा रोड के किनारे स्थित हनुमान मंदिर में इस लोगो का हुकुम इक_ा हो गया जब मंदिर में के नवजात के रोने की आवाज सुनाया दी, लोग मंदिर में पहुंचे तो देखा कि एक नवजात बच्ची कपड़े में लिपटी मंदिर के चौखट पर रोती बिलखती पड़ी रही, सूचना मिलते ही धनपुरी डायल 100 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को तत्परता से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची स्वस्थ है, लेकिन निगरानी में रखी गई है। संभावना जताई जा रही है कि लोकलज्जा के डर से माता-पिता ने बच्ची को त्याग दिया, मगर जिस तरह से बच्ची को हनुमान मंदिर में छोड़ा गया, यह एक ओर जहां इंसानियत को शर्मसार करता है, वहीं यह आस्था का भी अनोखा उदाहरण बन गया, जैसे माता-पिता ने अपनी औलाद को भगवान के भरोसे सौंप दिया हो। बुढ़ार पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आस-पास के गांवों और अस्पतालों में पूछताछ की जा रही है।

खबर संक्षेप

अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जिला अंतर्गत नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं फील्ड स्टाफ के अवकाश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया दिया है। उन्होंने कहा है कि समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे। प्रतिबंध अवधि में विशेष परिस्थितियों में अवकाश आवेदन जिला कलेक्टर की अनापत्ति उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे।

अवैध रेत चोरी कर परिवहन करने पर बिजुरी पुलिस ने की कार्यवाही

बिजुरी। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी एवं एस.डी.ओ.पी. कोतमा श्रीमती आरती शाक्य के मार्गदर्शन में बिजुरी पुलिस द्वारा दिनांक 10/05/2025 को ग्राम तरसिली में आंगनबाडी के पास घेराबंदी कर एक नीले रंग के सोनालिका ट्रेक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP 65 AA 3617 से अवैध रेत खनिज उत्खनन कर परिवहन करने पर रेड कार्यवाही करते हुए उक्त ट्रेक्टर ट्राली को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा आरोपी चालक केश करण पाव पिता लखन पाव उम्र 22 वर्ष निवासी गुलीडांड थाना बिजुरी एवं वाहन मालिक के विरुद्ध अप. क्र 139/25 धारा 303(2), 317(5), 3(5) बीएनएस 4/21 खान खनिज अधिनियम, 130/177(3) एम.व्ही एक्ट का पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है ।

युवाओं ने वृद्ध माताओं को भेंट किये कपड़े व चप्पले

उमरिया। विश्व मातृ दिवस के अवसर पर सेवा भाव के उद्देश्य से हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी जिले की सक्रिय युवाओं की टोली युवा टीम उमरिया के द्वारा जिले के ग्रामीण व वार्ड क्षेत्र में चिन्हित वृद्ध व असहाय २० महिलाओं को भीषण गर्मी से बचाव हेतु फुट स्लीपर व साड़ी कपड़े उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम मे उपस्थित प्रधान आरक्षक शैलेंद्र कुमार दुबे ने युवाओं की इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि माताओं के त्याग व बलिदान की याद मे मातृ दिवस मनाया गया है। मां का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है।मातृशक्ति को नमन करते हुए सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि मां जीवन में सही रास्ते पर चलने में बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं हमें हमेशा अपनी मां का सम्मान करना चाहिए। टीम संयोजक हिमांशु तिवारी ने कहा कि माता के समान कोई छाया और सहारा नहीं है।माता का स्थान कोई नहीं ले सकता है। आदमी कितना भी अमीर हो जाए उसे सुविधाएं मिले लेकर मां के बिना सबकुछ बेकार है। माता जननी ही नहीं बल्कि पहली गुरु है। हमें अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे की सबसे पहली शिक्षिका उसकी माता होती है। मां की ममता और उसने तथा पिता का अनुशासन ही बच्चों के व्यक्तित्व को विशेष बनाने में एम भूमिका निभाता है। अपने संदेश में कहा कि माताएं पहले शिक्षक होती हैं उनके दिए गए संस्कार जीवन भर काम आते हैं इस दुनिया में मन ही एक मात्र ऐसी इंसान होती है जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता तथा अपनी जिम्मेदारियां को लगातार बिना रुके और बिना थके निभाती हैं। माता का उदाहरण देते हुए कहा कि मात्र शक्ति ही सृष्टि का आधार है। उन्होंने बताया कि मातृ दिवस कार्यक्रम की तैयारी पूर्व में ही कर ली गई थी।

न्याय सबके लिये की अवधारणा को किया साकार

नेशनल लोक अदालत संपन्न

हारिभूमि न्यूज, उमरिया।

न्याय सबके लिये की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के उद्देश्य से १० मई २०२५ को इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विवेक कुमार गुप्ता के निर्देशन में किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु ११ खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें से ८ जिला न्यायालय उमरिया में, २ खण्डपीठ तहसील न्यायालय बीरसिंहपुर पाली एवं १ खण्डपीठ तहसील न्यायालय मानपुर में गठित की गई। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता द्वारा मॉ सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया।

अवॉर्ड हुए पारित

संपूर्ण दिवस नेशनल लोक अदालत के आयोजन के पश्चाचात जिला न्यायालय उमरिया के अंतर्गत मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में से कुल १० प्रकरण लोक अदालत में रेफर किये गये थे, जिसमे से ५ प्रकरणों में कुल मिलाकर ५७२००० रूपये का एवार्ड पारित किया गया । धारा १*८ एन०आई०ए० के अंतर्गत १९ रैफर प्रकरणों में ७ प्रकरण निराकृत हुये तथा २२९०००० रूपये की राशि के एवार्ड पारित किये गये। न्यायालय में लंबित आपराधिक समनीय मामलों में १७* प्रकरण रखे गये जिसमें से १*४ का निराकरण हुये तथा ११५८*५ रूपये की राशि का एवार्ड पारित किया गया।

वैवाहिक प्रकरण का हुआ निराकरण

वैवाहिक प्रकरणों के निराकरण हेतु -०६- प्रकरण रखे गये जिसमें से * प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुये और ६ लोग लाभांवित हुये । अन्य प्रकरणों में *६ प्रकरण रखे गये, जिसमें १८ प्रकरण रखे गये, जिसमें से १५७२५७ रूपये का एवार्ड पारित किया गया। सिविल प्रकरणों में ५ प्रकरण रखे गये, जिसमें से १ प्रकरण निराकृत किया गया, इस प्रकार कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित प्रकरणों में २५९ प्रकरण रखे गये जिसमें से १७१- प्रकरण निराकृत हुये तथा ३१९४२१ रूपये का एवार्ड राशि पारित हुई ।

100 में 66 प्रकरणों का हुआ निराकरण

प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के १२७- प्रकरण में से १५ प्रकरण निराकृत हुये तथा ११९४६*० रूपये की राशि बैंको में जमा हुई। इसी तरह नगरपालिका के जलकर के १९६ प्रकरणों में से -८१-प्रकरण निराकृत हुये और २४६१७५ रूपये की वसूली की गई। संपत्तिकर में ८० प्रकरण रखे गये, जिसमें से १६-निराकृत किये गये, उक्त प्रकरणों में ५२९११ राशि एवं विद्युत के कुल १०० प्रकरण रखे गये, जिसमें से ६६ प्रकरणों में राशि ६४०४८० राशि का अवार्ड पारित किया गया।

समझौता कराकर प्रकरण पर पूर्ण विराम

आयोजित नेशनल लोक अदालत सफल रही और न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी आई। ग्राम अमरपुर इंदवार जिला उमरिया के प्रकरण में पीठासीन अधिकारी एवं खण्डपीठ के सदस्य द्वारा पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण के लाभों से अवगत कराते हुये वैमनस्य समाप्त करते हुये शेष जीवन प्रेम से व्यतीत करने की प्रेरणा के साथ धारा-१४४ बीएनएसएस के प्रकरण में समझौता कराकर प्रकरण को पूर्ण विराम दिया गया।

सफल रही लोक अदालत

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित एक हिन्दू विवाह अधिनियम से संबंधित प्रकरण विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया में पक्षकारों को विशेष समझाईश दी गई। नफरत की आग को नफरत मत बुझाओ, कुछ हम भी पास आयें, कुछ तुम भी पास आओं, की तर्ज पर पक्षकारों ने अपने मनमुटाव दूर कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराया और इस प्रकार आयोजित नेशनल लोक अदालत पूर्व की भांति सफल रही।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर पुष्पराज सिंह, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ उमरिया, अरूण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्रीमती नजमा बेगम, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अहमद रजा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रामसहारे राज, विशेष न्यायाधीश/तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष, दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया, श्रीमती वीणा खलखो, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, आशीष धुर्वे, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सरफराज खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड उमरिया, श्रीमती पल्लवी सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड, बी.डी.दीक्षित, जिला विधिक सहायता अधिकारी उमरिया, जिविसेप्रा के कर्मचारीगण, जिला न्यायालय के कर्मचारीगण, पैनल अधिवक्ता/सुलहकर्ता अधिवक्ता, लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।

किसानों को नरवाई नहीं जलाने के लिए किया गया प्रेरित

हारिभूमि न्यूज, उमरिया।

कृषि अभियांत्रिकीय विभाग व्दारा किसानों को नरवाई नही जलाने की जानकारी दी जा रही है। सहायक कृषि यंत्री मेघा पाटिल ने बताया कि गत दिवस ग्राम ग्राम कछरवार, खेरवाकला, मझगवां, में रथ के माध्यम से किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान, नरवाई के प्रबंधन एवं उपाय नरवाई प्रबंधन में सहायक भूसा मशीन, बेलर, हार्वेस्टर मैनेजमेंट सिस्टम, रीपर कम्बाइंडर, सीपर सीडर, मल्चर आधुनिक कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन उपाय बनाने, खेत और पर्यावरण को नुकसान से बचाने, नरवाई प्रबंधन के लाभ आदि के बारे में जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि पर्यावरण सुरक्षा, जन स्वा० एवं जीव जंतुओ की जीवन सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूजनल के आदेश के परिपालन में पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत शासन ने धान एवं गेहू तथा अन्यव फसल की कटाई के बाद नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है। इसका उल्लंघन किए जाने पर संबंधित से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप मे जुर्माना लिया जाएगा । नोटिफिकेशन के प्रावधान अनुसार जुर्माना राशि निर्धारित की गई है ।

एकात्म पर्व का किया गया आयोजन

आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी पर हुआ व्याख्यान

हारिभूमि न्यूज, उमरिया।

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा संपूर्ण आर्यावर्त में सनातन धर्म के प्रणेता एवं धर्म ध्वजा के वाहक आदि शंकराचार्य स्वामी जी की जन्म जयंती पखवाड़े के आयोजन के क्रम में जन अभियान परिषद जिला उमरिया के मानपुर विकासखण्ड द्वारा एकात्म पर्व का आयोजन मानपुर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सतेंद्र कुमार गिरि विशिष्ठ अतिथि समाजसेवी मुकेश तिवारी, की उपस्थिति में किया गया।

मुख्य अथिति एवं वक्ताओं द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया उनके द्वारा किए गए कार्यों को जीवंत किया गया आज के समय में आदि गुरु शंकराचार्य जी के बताए रास्ते पर चलने का समय है । उनके द्वारा बताए गए, ब्रह्म सत्यं जगतमिथ्या,अहं ब्रम्हास्मि, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग,मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण, अपने कर्तव्यों का पालन ही धर्म,शरीर नश्वर एवं आत्मा अमर है, वैराग्य ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी, ईश्वर को अपने अंदर ही खोजने, आत्मा को जान लेना ही सब कुछ जान लेना तथा मौन को एक प्रकार की पूजा जैसी बातों को चरितार्थ कर भारतीय दर्शन के महान दार्शनिक एवं सनातन धर्म के प्रमुख वेत्ता स्वामी शंकराचार्य जी के बताए हुए मार्ग को आत्मसात करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का आयोजन जिला समन्वयक रविन्द्र शुक्ल,विकास खंड समन्वयक विकासखण्ड समन्वयक महेन्द्र सिंह तराम एवं उनके सहयोगियों द्वारा आयोजित किया गया । इस अवसर पर जन अभियान परिषद जिला उमरिया के जिला समन्वयक रविंद्र शुक्ला, शिववचन कुशवाहा ब्लॉक समन्वयक एसबीएम, महेन्द्र सिंह तराम विकासखण्ड समन्वयक मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, समस्त परामर्शदाता, समस्त नवांकुर संस्था उपस्थित रहे ।

माता-पिता को दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत

गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को सिखा सकते हैं कुछ अच्छा व नया

कोतमा।

जब से गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई है अक्षिता ताम्रकार और उसकी दोस्त को दिन भर घर में बंद रहना पड़ता है। टीवी पर कार्टून देख-देखकर भी उनका जी भर गया था। अपनी बोरियत दूर करने के लिए दोनों दिन भर घर में धमाचौकड़ी मचाते। जब उनकी मां उन्हे डांटती तो उनका एक ही जवाब होता कि क्या करे हम घर में बैठे-बैठे बोर हो रहे है? आप बाहर भी तो नहीं जाने जाने देतीं।' यह समस्या इन दोनों बच्चों की ही नहीं बल्कि इन जैसे हजारों बच्चों की है, जो हर साल गर्मियों की छुट्टियां आते ही बोर होना शुरू हो जाते है। ज्यादातर अभिभावक गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने बाहर नहीं जा पाते। छुट्टियों में कहीं घूमने न जा पाने की वजह चाहे जो भी हो पर इससे होने वाली दिक्कतें बच्चों को ही झेलनी पड़ती है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी होते है जिनके माता-पिता दोनों ही बहुत व्यस्त रहते है और उनके पास अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होता। इसलिए वे अपने बच्चों को भी कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखते है। ऐसे बच्चों के घर में सख्त अनुशासन और बिलकुल बंधी हुई दिनचर्या होती है, जिससे उन बच्चों के लिए छुट्टियो और सामान्य दिनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। उन्हे अपनी इस उबाऊ दिनचर्या से बोरियत होने लगी है। कुछ अभिभावक ऐसे होते है जो इन छुट्टियों को सही तरीके से उपयोगी बनाना चाहते है। वे चाहते हैं कि बच्चों की छुट्टियां आने से पहले वे उनके लिए कुछ ऐसी योजना बनाकर चलें, जिससे उनके व्यक्तित्व के विकास के साथ-साथ उनके अवकाश का भी सही इस्तेमाल हो। यहां माता-पिता को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने की जरूरत है। गर्मियों की छुट्टियां ही वह समय है जब माता-पिता अपना बच्चों के साथ पूरा वक्त बिताकर उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत बना पाते है। यही सही समय होता है जब बच्चे कुछ नया सीख सकते है और परिवार के परिवेश में उनका सही विकास होता है। अक्षिता ताम्रकार का कहना है कि गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है और वह घर में पड़े पड़े बोर हो रही थी तो उसने अपनी सहेली एवं अपने छोटे भाई के साथ बैठकर कैरम खेलती हैं और उसके बाद वह अपनी सहेली के साथ घर में रखें पुराने पेपर के कतरन से पेंटिंग सीखती है। वह पुराने पेपर के कतरन को इकट्ठा कर गोलाकार काटकर उसमें अपने हाथों से मनचाहा रंग भरकर चित्र बनाने में व्यस्त रहती है और उस चित्र को वह तैयार कर अपने घर के दीवारों में लगाएगी इससे वह स्कूल की छुट्टी का सही उपयोग करते हुए घर में ही अपने दोस्त के साथ पेंटिंग बनाना सीख रही है। इसमें उसके माता-पिता भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं ।

रामनगर पुलिस की रेड कार्यवाही में 15 टन अवैध कोयला जब्त, आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

रामनगर।

थाना रामनगर पुलिस ने अवैध कोयला तस्करी और भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम जमुड़ी में एक मकान से खनिज (कोयला) जब्त किया है। कार्रवाई में लगभग 1500 किलोग्राम कोयला, जिसकी अनुमानित कीमत 9000/- करीब है, बरामद किया गया। यह कोयला 30 जूट की बोरियों में छिपाकर रखा गया था। एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जमुड़ी में पंकज केवट नामक व्यक्ति के घर के पीछे बड़ी मात्रा में अवैध कोयला छिपाकर रखा गया है। इस सूचना पर टीम के साथ बताए गए स्थान पर रेड की जहां गवाहान की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पंकज केवट पिता रमेश केवट उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 13, ग्राम जमुड़ी के घर के पीछे से कुल 30 जूट की बोरियों में अवैध खनिज कोयला बरामद हुआ। जब आरोपी से पुलिस ने मौके पर धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया और कोयले के वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोपी पर अपराध क्रमांक 108/25 मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम की धारा 4/21, भादंवि की धारा 303 (2) एवं बीएनएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाकर विवेचना की जा रही है।

अपुष्ट सूचनाओं के प्रसारण पर प्रतिबंध

मानपुर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी या अपुष्ट सूचनाओं को वायरल करने संबंधित कलेक्टर के प्रतिबंधात्मक आदेश के परिपालनार्थ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 10 मई को थाना प्रभारी मानपुर मुकेश मर्सकोले के द्वारा थाना प्रांगण में स्थानीय एवं क्षेत्रीय पत्रकारों की एक आवश्यक बैठक पूर्व निर्धारित समय सायं ४ बजे से आहूत की गई थी, जिसमें समस्त पत्रकार बंधु उपस्थित रहे, जिन्हें देश में उद्भुत वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबरों के प्रसारित नहीं किए जाने के लिए कहा गया साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेंद्र कुमार जैन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का अक्षरशः पालन कराने में मीडिया कर्मियों को अपनी भूमिका का निर्वहन करने की बात कही गई, इस दौरान

टीआई श्री मर्शकोले द्वारा यह भी जिम्मेदारी पत्रकार बंधुओ को सौंपी गई कि वर्तमान समय में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऐसी भ्रामक जानकारी साझा करता पाया जाता है, जिससे आमजन में आक्रोश और तनाव उत्पन्न होने के साथ-साथ शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा हो तो ऐसी दशा में तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि उस पर नकेल कसी जा सके, बैठक के दौरान मानपुर मुख्य मार्ग बस स्टैंड से ब्योहारी रोड एवं बस स्टैंड से गोवर्दे रोड पर ट्रैफिक के तनाव को कम करने की बात पत्रकारों ने कही, जिससे जाम की स्थिति ना निर्मित होवे, जिस पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा उपरांत अतिशीघ्र कार्रवाई किए जाने का आश्वासन थाना प्रभारी मानपुर मुकेश मर्शकोले द्वारा दिया गया।

खबर संक्षेप

हवाई पट्टी का नहीं हो पाया उन्नयन

शहडोल। संभाग के अंतर्गत हवाई सुविधा के प्रस्ताव पर विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई, कांग्रेस के नेता लवकेश गर्ग ने बताया की लालपुर एयरपोर्ट का उन्नयन प्रस्ताव जिला मुख्यालय से लगा हुआ लालपुर हवाई अड्डा है, लेकिन जिला प्रशासन और विमान विभाग द्वारा लालपुर हवाई पट्टी का उन्नयन प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, इसलिए आज जिले के व्यापार एवं मेडिकल सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिले के आस-पास 6 बड़े ज्यादा उद्योग है, इसमें रिलायंस प्रोजेक्ट, पेपर मिल चचाई, बिरसिंहपुर पाली थर्मल पावर, माइंस एसेंशियल जैतहरी निजी पावर हाउस, बांधवगढ़ टाइगर भी शामिल है, 16 अगस्त 2021 जिला प्रशासन ने विभाग को 62 करोड़ 73 लख रुपए से लालपुर हवाई पट्टी उन्नयन का प्रस्ताव भेजा था, इस प्रस्ताव में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। संभाग के विधायक, प्रभारी मंत्री हर महीने की मीटिंग करने जिला कलेक्ट्रेट आते हैं, तब भी आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई, संभाग के नागरिकों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आदिवासी बाहुल्य जिले में एयरपोर्ट बन जाने से विकास को नई गति एवं रोजगार मिलेगा।

पंचतत्व में विलीन हुईं बब्बी बाई

शहडोल। मनोज टीवीएस शोरूम के डायरेक्टर व नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मनोज गुप्ता, राजेश गुप्ता एवं हनुमान गुप्ता की माताजी

श्रीमती बब्बी बाई गुप्ता का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने शनिवार शाम 10 मई को अंतिम सांस ली। संभागीय मुख्यालय के बुढार रोड स्थित शान्ति वन में रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। जहां उनके ज्येष्ठ पुत्र हनुमान प्रसाद गुप्ता ने मुखाग्नि दी। श्रीमती बब्बी बाई गुप्ता पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थी, जिनका इलाज जबलपुर में चल रहा था। श्रीमती बब्बी बाई एक धर्म पारायण महिला थी, वह धर्म-कर्म के कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका का निर्वहन करती थी। वे अपने पीछे तीन पुत्र हनुमान प्रसाद, राजेश गुप्ता, मनोज गुप्ता एवं दो पुत्री सहित पूरे परिवार को छोड़ गई। नगर पालिका परिषद शहडोल की पार्षद श्रीमती आरती गुप्ता, सुनीता गुप्ता, वर्षा गुप्ता की सासु मां एवं व्यवसायी योगेश गुप्ता,पारस गुप्ता, प्रखर गुप्ता एवं अक्षत गुप्ता की दादी मां श्रीमती बब्बी बाई गुप्ता के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में संभाग भर से राजनीतिक, व्यवसायिक प्रशासनिक के साथ सामाजिक संगठनो के लोगों ने बुढार रोड शहडोल के शान्ति वन में पहुंच कर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। श्रीमती बब्बी बाई गुप्ता के निधन की खबर सुनते ही मनोज टीवीएस परिवार के स्नेहियो शुभचिंतकों ने उनके निवास ग्रीनसिटी के पास पितृछाया पहुंच कर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए गुप्ता परिवार को इस दुःख को सहने का संबल देते हुए ईश्वर से कामना की गई।

कुत्तों के हमले से घायल चीतल की हुई मौत

उमरियापान। कुत्तों के झुंड ने एक चीतल को खदेड़ा जिससे कि चीतल एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। चीतल के पैर में चोट पहुँची और उसकी मौत हो गई। घटना ढीमरखेड़ा वन परिक्षेत्र के करौंदी बीट की हैं। जानकारी के मुताबिक करौंदी के जंगल से वन्य प्राणी पानी की तलाश में सड़क पार करते हैं।पानी पीने जंगल से नीचे एक चीतल आ रहा था, इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने खदेड़ना शुरू कर दिया। चीतल जान बचाकर आश्रम की तरफ भागा तो गहरे गढ्ढे में जा गिरा। घटना में चीतल की मौत हो गई।

अपहृत बालिका को किया दस्तयाब, परिजनों को सौंपा

उमरियापान। पुलिस ने अपहृत बालिकाओं को दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया है। थाना प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अपहृत बालक / बालिकाओ की दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया गया है।

भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं, रील्स को अपलोड, फारवर्ड नहीं करने की अपील की

नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में कलेक्टर सभागार में बैठक संपन्न

कलेक्टर धरणेन्द कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में वर्तमान में अप्रत्याषित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में बैठक संपन्न हुई । बैठक में कलेक्टर ने जिलेवासियों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहे।

उमरिया।

सोषल मीडिया पर प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर आदि पर ऐसी कोई भी भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं , पोस्ट, वीडियो, रील्स को अपलोड एवं फारवर्ड नही करें । यदि जांच के दौरान ऐसा करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होने कहा कि जनता में भय का वातावरण पैदा नहीं हो, उन्हें यह संदेष दिया जाए कि हम हर परिस्थितियों से निपटनें के लिए तैयार है। थाना स्तर पर आसामाजिक तत्वों की सूची तैयार करें । जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नंबर 07653-222988 है। इसी तरह अनुभाग स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। जिला एवं ग्रामीण स्तर पर स्थित अस्पतालो में डाक्टरों की उपलब्धता , दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए तथा ब्लड डोनेशन करने वाले व्यक्तियों की भी सूची तैयार करने के निर्देष दिए गए।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल की उपलब्धता तथा पीडीएस की दुकानो में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। जिले के सेंसटिव प्वाइंट का निरीक्षण किया जाए। होटलो, ढाबों , रिर्सोटो में बाहर से आकर रूकने वाले नागरिकों की पहचान सुनिष्चित की जाए । संदिग्ध प्रतीत होने पर कार्यवाही की जाए। नगरीय क्षेत्रो में पर्याप्त मात्रा में फायर बिग्रेड की उपलब्धता, एम्बुलेंस की उपलब्धता बनी रहे, इस पर विषेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि जिले में विस्फोटक साम्रगी बेचने एवं बनाने वाली दुकानों के लाइसेंस का अवलोकन किया जाए तथा सूची बनाई जाए। निर्धारित मापदंड के अनुसार विस्फोटक की दुकान संचालित नही होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रायवेट ड्रोन यदि बिना परमिषन के उड़ रहा है तो उस पर विधिसंगत कार्यवाही की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग व्दारा की जाए।

उन्होंने कहा कि समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया गया है। शासकीय सेवक अपने मुख्यालयो में ही रहे। प्रतिबंध अवधि में विषेष परिस्थितियों में अवकाश के लिए आवेदन कलेक्टर की अनापत्ति उपरांत सक्षम अधिकारी व्दारा स्वीकृत किया जा सकेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने कहा कि जिले में 464ग्राम रक्षा, समितियां के सदस्य है। इसके अलावा सिविल डिफेंस वालेटिंयर के नामांकन में एनसीसी, एन एस एस, ग्राम रक्षा समिति, भूत पूर्व सैनिकों, रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान की जाए। ब्लैक आउट, ड्रिल, मॉकड्रिल की तैयारी की जाए। सायरन के लिए ऐसी जगहों का चिन्हांकन किया जाए , जिससे सायरन की आवाज तीन किलोमीटर तक के एरिया तक सुनाई दें। सायरन को लगाने, बंद करने की जानकारी से सभी अवगत रहे। सायरन के लिए कर्मचारियों की ड्यिुटी लगाई जाए तथा उसकी एक कापी थानों में भी उपलब्ध कराई जाए। जगहों का चिन्हांकन मजिस्ट्रेट, नगर पालिका, एमपीईबी व्दारा संयुक्त रूप से किया जाए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम, एसडीएम बांधवगढ कमलेश नीरज, एसडीएम मानपुर टी आर नाग, समस्त थानों के नगर निरीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

नगर निगम द्वारा पांच स्थानों में लगाए गए शिविर, 35 लाख रूपए की वसूली

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

शनिवार 10 मई को नगर निगम कटनी के पांच स्थलों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया गया । लोक अदालत के दौरान निगम के करदाताओं ने अपना बकाया जलकर एवं संपत्तिकर जमा कर नियमानुसार प्रदान की जा रही छूट का भरपूर लाभ उठाया।

यहां लगाए गए शिविर

राजस्व अधिकारी नगर निगम जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी एवं आयुक्त नीलेश दुबे के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत के दौरान नागरिकों को निगम के बकाया करों की राशि आसानी से जमा करने की सुविधा हेतु पांच स्थलों नगर निगम कार्यालय, बस स्टेंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उप कार्यालय एवं सुभाष चौक पर शिविर आयोजित किए जाकर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थी।

छूट की दी गई जानकारी

शनिवार को आयोजित लोक अदालत का उपायुक्त शैलेश गुप्ता एवं राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक द्वारा सतत निरीक्षण किया जाकर राजस्व अमले को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

थाने में दाखिल हुआ जहरीला सांप, मची अफरा-तफरी

शहडोल।

जिले के कोतवाली थाने में में उस वक्त हडक्रंप मच गया, जब एक सांप थाने में जा घुसा और इधर-उधर भागने लगा, घटना तब हुई जब थाने में मौजूद स्टाफ रोज़ की तरह अपने काम में व्यस्त था, तभी अचानक एक व्यक्ति की नजर फर्श पर रेंगते एक सांप पर पड़ी, देखते ही देखते सांप थाने के रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ गया और पुराने दस्तावेजों के बीच जाकर छिप गया, इस दृश्य को देख थाने में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सर्प मित्र को बुलाया गया, थोड़ी ही देर में पहुंचे सांप विशेषज्ञ ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन को मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिसकर्मी एक ओर सहमे खड़े हैं और सर्प मित्र पूरी सावधानी से सांप को पकडऩे में लगे हैं।

उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में चल रहा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण

महाविद्यालय में खेलो, बढ़ो योजना के तहत छात्र छात्राओं को किया जागरूक

हरिभूमि न्यूज ⏭ बड़वारा

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव के मार्गदर्शन में विकासखंड बड़वारा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण 5 मई से 5 जून तक शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वारा के खेल मैदान में राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा योग/खो खो//वॉलीबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके साथ-साथ खेली बढ़ो योजना के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वारा के वरिष्ठ अध्यापक जुगल किशोर चौरसिया के द्वारा बच्चों के खेल के लिए प्रेरित किया गया और विकासखंड से जिला स्तर तक ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। शासकीय महाविद्यालय बड़वारा के खेल अधिकारी डॉ आदित्य गढपाले के द्वारा छात्राओं के खेल खेलने के लिए एवं खेल से रोजगार के अवसर प्राप्त करने के तरीके बताएं और खेल में शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे खेलो बढ़ो योजना के दूसरे चरण युवाओं को प्रशिक्षकों का समन्वय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन दिए ब्लॉक समन्वय कटनी वीरेंद्र कुमार पांडे के द्वारा खेल प्रशिक्षण शिविर उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों को खेल में निशुल्क खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आग्रह किया गया।

जल गंगा अभियान के तहत जल स्त्रोतों में की जा रही सफाई

श्रमदान कर ग्रामीणों ने की तालाब की सफाई, जल संवर्धन के लिए किया प्रेरित

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ढीमरखेड़ा के ग्राम मुरवारी में बड़ा तालाब के किनारे जमा खरपतवार और कचरे का उचित निदान किया गया। साथ ही घाट की सफाई की गई। इस मौके पर जिला समन्वयक डॉ. तेज सिंह केसवाल और विकासखंड समन्वयक बबिता शाह सहित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में जनपद सदस्य ज्योति दीपू बैरागी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई और चौपाल बैठक में जल संरक्षण के महत्व पर चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को जल संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया।

कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति मुरवारी के अध्यक्ष बृजभूषण बैरागी, समाजसेवी आनंद सोनी, संतोष बढ़ई, ओमकार बढ़ई, सनद बर्मन, देवेंद्र बर्मन, पिकू कोल, परशुराम कोल और अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। छात्र-छात्राओं में अभिलाषा विश्वकर्मा, उमा विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा, आकाश बढ़ई, शेखनियाजुल और अन्य ने भाग लिया।

तालाब की हुई सफाई

नवांकुर संस्था पटना (मढिया) के संयोजन मे ग्राम पंचायत पटना में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कजरवारा तालाब की साफ-सफाई की गई। इस अभियान में लोगों को पानी बचाने हेतु जागरूकता लाने का प्रयास सामूहिक रूप से गांव-गांव मे किया जा रहा है।

इनका रहा सहयोग

कार्यक्रम मे ग्राम पंचायत पटना के सरपंच अनंतराम ठाकुर, रोजगार सहायक बद्री प्रसाद, जिला समन्वयक डॉ. तेजसिंह केसवाल, ब्लॉ क समन्वयक अरविंद शाह, धनीराम लोधी, (नवांकुर संस्था पटना), मेंटर अवधेश बैरागी, उमा अवस्थी, आशीष तिवारी, सरजू सेन (जन चेतना समिति बडखेरा), सीएमसीएलडीपी छात्र-छात्राएं, नंदिता लोधी, प्रियंका अग्रवाल, प्रीति यादव, सुष्मिता लोधी, बबीता लोधी, रामविशाल पटेल, खुशबू व अन्य ग्राम वासियो की उपस्थिति रही।

किसान उत्पादक कंपनी की कार्यशाला सह समीक्षा हुई बैठक

सभी विभाग एवं संस्थाएं एफपीओ को प्राथमिकता से लाभ दिलाएं

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला उत्पादक कंपनियो की विभिन्न विभागों के साथ संयोजन बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। इसमें एफपीओ एवं एफपीसी की मौजूदगी रही। बैठक में एफपीओ द्वारा किए गए कार्य की प्रगति एवं स्थिति और किए जाने वाले व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही समस्त विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से अभिसरण किए जाने पर चर्चा कर रणनीति बनाई गई।

बैठक मे जिला प्रबंधक कृषि उमर महबूब के द्वारा विभाग के कार्यों को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही संचालित दो एफपीओ अमृत कलश बड़वारा और शुभ श्रीलाभ कटनी के बारे में जानकारी दी गई एवं आगे के प्लान के बारे में बताया गया और बैठक मे सभी विभागों एवं संस्थाओं से दोनों एफपीओ को लाभ देने मे प्रथमिकता देने की बात कही। डीडीएम नाबार्ड से विकास जैन के द्वारा बताया गया कि सभी अलग-अलग गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। एक साथ मार्केटिंग और उसको संचालित करने में सभी का सहयोग हो। सभी एफपीओ का एक कंसोर्टियम बने जिससे बड़े लेवल में गतिविधियो को बढ़ावा मिल सके।

मानव जीवन विकास समिति सचिव निर्भय सिंह के द्वारा एलाइव और संगम बीडी दो एफपीओ बनाया गया है। जिसके माध्यम से प्राकृतिक कृषि उत्पादन और मिलेट को बढ़ावा देने ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर बड़े बाजार के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। मानव जीवन विकास समिति से चंद्रपाल कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि हम किसानों को अलग-अलग योजनाओं से जोड़ते हैं, इससे शेरहोल्डर्स बनाने में दिक्कत नहीं जाती।

जिला परियोजना प्रबंधक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सबाना बेगम ने कहा कि इस बैठक से निकले निष्कर्ष से हमारे एफपीओ की कार्य प्रणाली और मजबूत होगी। साथ ही सभी अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग अनुभव एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। आसेटी एसबीआई से पवन गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार को बढ़ावा मिले।

लीड बैंक मैनेजर के द्वारा बैंक से जुड़े कामों के बारे में जानकारी दी गई एवं विश्वास दिलाया अगर बैंक से संबंधित कोई समस्या तो हमें फोन करें, उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके अलावा कृषि विभाग से डीडीए मनीष मिश्रा के द्वारा बताया गया कि आप सभी सरकार की योजनाओं से जोड़कर किसानों को फायदा दिलवाने में आपका सहयोग सराहनीय रहा। डॉ. पंकज ने बीज उत्पादन कार्य करने एवं उनके तकनीकि पर प्रकाश डाला।

बैठक के दौरान उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, जिला विकास प्रबंधक जिला, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, प्रोजेक्ट समन्वयक बीसा जबलपुर, उपसंचालक आत्मा विभाग, विकासखंड प्रबंधक बड़वारा, एनआर एलएम, जिला समन्वयक उद्यमिता विकास केंद्र, सचिव मानव जीवन विकास समिति व जिले में कार्यरत एफपीओ की मौजूदगी रही।

आयुष्मान कार्ड बनाने वार्डवार शिविर 13 मई से

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

नगरनिगम सीमांतर्गत 45 वार्डो में निवासरत श्रमिक कार्डधारकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ प्रदान करनें के उद्देश्य से महापौर प्रीति संजीव सूरी एवं निगमायुक्त नीलेश दुबे के निर्देशन में 13 मई से 30 मई तक वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आयुक्त नीलेश दुबे द्वारा एक आदेश जारी करते हुए वार्डवार शिविरों का आयोजन करते हुए संबंधित वार्ड दरोगाओं को अपनें - अपने वार्ड में निवासरत श्रमिक कार्ड धारकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जानें हेतु निर्देशित किया गया है।

आयुक्त नीलेश दुबे द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिविर के प्रथम एवं द्वितीय दिवस 13 मई एवं 14 मई को बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 1 स्थित पन्ना मोड आंगनबड़ी गली नंबर -2 बिरसा मुंडा वार्ड क्रमांक 2 स्थित चक्की घाट वार्ड पार्षद के घर के पास शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 3 में शासकीय स्कूल पहरूवा व इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 में प्रजापति मोहल्ला धर्मशाला ऑडिटोरियम बस स्टैंड के साथ ही राम मनोहर लोहिया वार्ड क्रमांक 5 हेतु बीकानेर के सामने शिविर का आयोजन किया जायेगा। इसी तरही आगामी तिथियों में वार्डवार शिविरों का आयोजन किया जाकर श्रमिक कार्डधारियों के आयुष्मान कार्ड बनानें का कार्य किया जाएगा।

निगमायुक्त द्वारा उक्त पांच वार्डो में दो दिवस आयोजित होने वाले शिविरों में जिन वार्ड दरोगाओं की ड्यूटी लगाई है उनमें सुरेश साहू भ।रत जयहिंद मनमोहन चमकेल संदीप का नाम शामिल है।

खबर संक्षेप

चार अवैध पशु तस्कर चढे कोतमा पुलिस के हत्थे

कोतमा। बीते 2 मई की दरम्यानी रात को समाजसेवियों एवं पुलिस के द्वारा पशु तस्करों के अड्डे पर पहुंचते हुए कारतूस लोड घातक हथियार, संदिग्ध कच्चा मांस, तस्करी में लिप्त 3 गाड़ियों सहित 21 मवेशी जप्त किया गया था। 2 आरोपी मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गया था।तस्करी के नेटवर्क में शामिल सरगना अब्दुल रहमान उर्फ बल्लू एवं मोहम्मद वाजिद सहित आधा दर्जन आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के फरार होने के बाद नागरिकों द्वारा लगातार अड्डे को ध्वस्त करने सहित कठोर कार्यवाही की मांग की जा रही है। शनिवार को हिंदूवादी संगठनों एवं समाजसेवियों द्वारा गांधी चौक में प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन स्थल पर एसडीम, अजीत तिर्की नायब तहसीलदार राजेंद्र पनिका एवं थाना प्रभारी सुंद्रेश सिंह द्वारा जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी एवं सख्त कार्यवाही के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। धारा 11घ,ड.च पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. एवं 6(क),10 म. प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. के तहत दर्ज मामले में फरार आरोपी असहर अली उर्फ पप्पू पिता मुस्ताक अली उम्र 50 साल निवासी लहसुई कैंप कोतमा, दीपक पनिका पिता चौथमल पनिका उम्र 25 साल मवेशी बाजार कोतमा, मोहम्मद वासिफ उर्फ डूल्लू पिता मोहम्मद हाजी यूसुफ उम्र 30 साल निवासी लहसुई गांव एवं रामकुमार साहू पिता राम सुहाय साहू उम्र 38 साल छुल्हा को गिरफ्तार किया गया। भेजा सलाखों के पीछे - तस्करी में शामिल चारों आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुये धारा 170, 126/129 के तहत न्यायालय पेश कर सलाखों के पीछे भेजा गया।

ट्रक यूनियन ने भी किया निष्कासित- पिछले एक दशक से अपने ट्रक के माध्यम से पशु तस्करी के धंधे में लिप्त मोहम्मद वाजिद पर कानून का बढ़ता शिकंजा एवं कार्यवाही के बाद ट्रक एसोसिएशन द्वारा भी यूनियन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है।

नगर में चल रहे करोड़ों के विकास कार्य मगर नहीं रखा जा रहा गुणवत्ता का ध्यान

बिजुरी। अनूपपुर जिले के नगर पालिका परिषद बिजुरी मैं करोड़ो रुपए के विकास के कार्य चल रहे हैं, वार्ड क्रमांक 9,10, 11,12, मैं नाली का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तालाबों का सौन्दर्यकरण सहित कई विकास कार्य प्रगति पर है मगर ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किए जाने से निर्माण कार्यों के मजबूती पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं, जो नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

फर्जी बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी का

मास्टर माइंड सीईओ एवं ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार

81 निवेशको से डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी का मिला रिकॉर्ड

अनूपपुर पुलिस की बडी कार्यवाही, मकान मालिक पर भी एफआईआर

अनूपपुर सहित प्रदेश के 5 अन्य जिलो में भी था धोखाधड़ी का कार्यालय

हरिभूमि न्यूज, अनूपपुर।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के नेतृत्व में अनूपपुर पुलिस द्वारा अनूपपुर सहित मध्यप्रदेश के 05 जिलो डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट एवं इन्दौर में फिक्स डिपाजिट एवं लोन दिलाने IDCS INDIA नाम से बैंकिंग कार्यालय खोलकर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अभिजीत सिहं पिता चारधाम सिहं उम्र करीब 32 साल निवासी वार्ड नं. 14 पुरानी बस्ती अनूपपुर के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तहसील कार्यालय के पास गिरधारीलाल सोनी के किराये के भवन में खोली गई IDCS INDIA नाम की बैंकिंग कंपनी के ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास के द्वारा सम्पर्क किया जाकर जमा राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज देने का बताया जाकर 03 दिसंबर 2024 को एक लाख रूपये की फिक्स डिपाजिट कराया जाकर बाण्ड लेटर दिया जाकर धोखाधड़ी की गई है, पिछले तीन माह से कंपनी का आफिस बंद है एवं ब्याज राशि भी मिलना बंद हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 221/25 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 6 म.प्र. निक्षेपको के हितो का संरक्षण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया।

रिमाण्ड मे आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा तत्परता पूर्वक IDCS INDIA के अनूपपुर कार्यालय को सीलबंद कर दिया गया और जिला मण्डला पहुंचकर उक्त कंपनी के मालिक एवं सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास पिता कन्हैयालाल श्रीवास उम्र 22 साल निवासी महराजपुर थाना महराजपुर जिला मण्डला एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय पिता चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय उम्र 28 साल निवासी भुआ बिछिया जिला मण्डला को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय से आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की पूछताछ

प्रकरण में गिरफ्तार IDCS INDIA के सी.ई.ओ. योगेश श्रीवास एवं ब्रान्च मैनेजर दीपक उपाध्याय से स्वयं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोतीउर रहमान के द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई आरोपियो द्वारा बताया गया कि 13.10.2023 को योगेश श्रीवास द्वारा financial consultancy personal businesess and home loan support का काम किये जाने हेतु IDCS INDIA नाम से जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन कराया गया एवं कंपनी का पेन नम्बर प्राप्त किया गया, साथ ही Ministro of corporate affairs से रजिस्ट्रेशन कराया गया उक्त कंपनी को केवल वित्तीय परामर्श दिये जाने हेतु खोले जाने की अनुमति प्राप्त की गई थी किन्तु आरोपियो द्वारा निवेशको को IDCS INDIA का स्टेट बैंक आफ मारीसिस से अनुबंधित होने के फर्जी दस्तावेज तैयार कर ऊंची ब्याज दर का लालच देकर फिक्स डिपाजिट कराई गई।

तलाशी में मिले एफडी एवं लोन के कई दस्तावेज

योगेश श्रीवास निवासी मण्डला द्वारा सर्वप्रथम डिण्डौरी में इसके उपरांत मण्डला, बालाघाट, अनूपपुर एवं इन्दौर पांच जिलो में विभिन्न स्थानो पर किराये से भवन लिया जाकर अपने आफिस खोले गये। शनिवार की शाम कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा सीलबंद किये गये IDCS INDIA के कार्यालय को खोला जाकर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किये गये जो गिरधारीलाल सोनी के बिल्डिंग के प्रथम तल में ली गई तलाशी में आरोपियो से एफ.डी. एवं लोन के कई दस्तावेज स्मार्ट फोन, 05 लैपटाप, 02 प्रिन्टर, बैंक चेक, स्टेट बैंक आफ मारीसिस के फर्जी तैयार बैंकिंग फार्म विभिन्न बिल, स्टेशनरी सामान आदि जप्त किया गया है।

अभी तक 1 करोड़ 51 लाख रूपये के धोखाधड़ी का मिला रिकॉर्ड

अभी तक की विवेचना में आरोपीगण द्वारा 81 निवेशको से कुल 01 करोड़ 51 लाख रूपये की राशि धोखाधड़ी कर अर्जित किये जाने का रिकार्ड पुलिस को प्राप्त हो चुका है। मुख्य आरोपी योगेश श्रीवास के द्वारा निवेशको की गाढी कमाई से प्राप्त धनराशि से 20 लाख रूपये की महंगी लक्जरी कार, साढे तीन लाख रूपये की BMW मोटर सायकल, पांच लाख रूपये के सोने के जेवरात, मण्डला में पचास लाख रूपये का आवासीय प्लाट खरीदे जा चुके है जिन्हे पुलिस द्वारा जप्त किया जा रहा है। साथ ही निवेशको से अर्जित धनराशि से ही अनूपपुर सहित डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट एवं इन्दौर में किराये के कार्यालय में महंगा आफिस सेटअप तैयार करना बताया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियो के सभी एकाउण्ट सीज करा दिये गये है।

आफिस बंद कर फरार थे आरोपी

आरोपियो द्वारा अनूपपुर में अभिजीत सिंह के अलावा डाक्टर रत्ना परस्ते, आकांक्षा पाण्डेय, अजय गुप्ता की लाखो रूपये की एफडी करायी जाकर धोखाधड़ी की गई है। साथ ही योगेश श्रीवास एवं दीपक उपाध्याय ने अनूपपुर निवासी अंकुर बघेल, सूरज चौधरी, नेहा बाग, अजय गुप्ता, प्रदीप तिवारी, रागिनी वर्मा, गोकुल सिंह आदि को धोखे में रखकर IDCS INDIA अनूपपुर ब्रान्च में नौकरी पर लगाया जाकर पिछले कई महीनो से वेतन भी दिये बगैर आफिस बंद अनूपपुर छोड़कर भाग जाना पाया गया।

मकान मालिक के विरूद्ध भी एफआईआर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 957/आरडीएम / कानून व्यवस्था /2025 अनूपपुर दिनांक 19 फरवरी 2025 के द्वारा जिले के समस्त मकान मालिको को किरायेदारो की जानकारी संबंधित निकटतम थाना में दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है किन्तु गिरधारीलाल सोनी पिता स्व. जियालाल सोनी निवासी कालेज रोड तहसील कार्यालय के पास अनूपपुर के द्वारा अपने मकान में IDCS INDIA नाम की कंपनी को किराये से भवन दिये जाने की जानकारी पुलिस थाना में नहीं दिये जाने पर धारा 223 बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया है।

इनकी रही सराहनीय भूमिका

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा उक्त धोखाधड़ी के आरोपियो की शीघ्र गिरफ्तारी एवं कार्यवाही हेतु टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन, उपनिरीक्षक प्रवीण साहू, प्रधान आरक्षक शिवशंकर प्रजापति, शेख रसीद, महेन्द्र सिंह, आरक्षक प्रकाश तिवारी एवं सायबर सेल से प्रधान आरक्षक राजेन्द्र अहिरवार आरक्षक पंकज मिश्रा की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

नेशनल लोक अदालत का हुआ सफल आयोजन

1 करोड 85 लाख 90 हजार 5 सौ 75 रूपये की राशि की गई अवॉडिड

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनूपपुर श्रीमती माया विश्वलाल के मार्गदर्शन में 10 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय कोतमा, राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय अनूपपुर में आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माँ सरस्वती जी के चित्र में पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस अवसर में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मनोज कुमार लढिया, द्वितीय जिला न्यायाधीश/संयोजक नेशनल लोक अदालत नरेन्द्र पटेल, प्रथम जिला न्यायाधीश प्रवीण पटेल, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती चैनवती ताराम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनोद कुमार वर्मा, श्रीमती सुधा पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉबी सोनकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री सृष्टि साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल, जिला अधिवक्ता बार संघ से अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार, सचिव राम कुमार राठौर, शासकीय अभिभाषक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा, लीगल एड डिफेंस काउंसेल संतदास नापित, जिला अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्तागण खण्डपीठ के सुलहकर्ता सदस्यगण, पैरालीगल वालेंटियर्स तथा जिला न्यायालय अनूपपर समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर 08 खण्डपीठ, तहसील सिविल न्यायालय कोतमा हेतु 03 खण्डपीठ एवं राजेन्द्रग्राम हेतु 03 खण्डपीठ का गठन किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक 74, चैक बाउंस 23, क्लेम प्रकरण 06, वैवाहिक प्रकरण 20, विद्युत प्रकरण 75 एवं अन्य 265 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 328, इस प्रकार कुल 800 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें कुल एक करोड पचासी लाख नब्बे हजार पांच सौ सत्तह रूपये की राशि अवॉडिड की गई।

इन प्रकरणों का भी हुआ निराकरण

पति रवि कुमार राठौर निवासी ग्राम चोरभटी द्वारा अपनी पत्नि से तलाक हेतु न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। नेशनल लोक अदालत को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पति रवि कुमार राठौर एवं पत्नि निधी राठौर दोनों को दाम्पत्य जीवन निर्वाहन करने की समझाईश दी गई। जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। जिसके उपरांत जिला न्यायाधीश द्वारा प्रकरण समाप्त किया और दोनों पति-पत्नि एक साथ राजी खुशी से अपने घर गए। इसी तरह आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य विवाद होने से आवेदिका द्वारा अनावेदक से भरण पोषण राशि दिलाये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित कर उसे प्रतिमाह 1800 रूपये भरण-पोषण राशि अनावेदक से दिलाय जाने का आदेश पारित किया। जिसके उपरांत उभयपक्ष द्वारा वसूली प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक विगत कई वर्षो से आवेदिका को भरण पोषण राशि अदा कर रहा था। अनावेदक की दो पत्नियॉ थी, जिनमें एक पत्नी की भृत्यु हो चुकी थी, कुंठी बाई उसकी दूसरी पत्नी थी। आज उभयपक्ष नेशनल लोक अदालत में संबंधित न्यायालय में उपस्थित हुए जिस पर खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्तागण द्वारा दोनों को राजीनामा की समझाईश दिए जाने पर वे राजीनामा कर साथ-साथ रहना व्यक्त किया, न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई और और दोनों पति-पत्नि एक साथ राजी खुशी से अपने घर गए वही धारा- 294, 323, 506, 342, 34 एवं 325 के तहत- वकैया, समयलाल उर्फ गुल्लू, पे्रमलाल और दुख्खू के ऊपर प्रकरण 2021 में दर्ज हुआ था। नेशनल लोक अदालत को श्रीमती चैनवती ताराम मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी और पक्षकारों के अधिवक्तागणों के प्रयासों से दोनों पक्षों को समझाईश दी गई। चूंकि मामला गंभीर प्रकृति का नही था और सभी धाराएं राजीनामा योग्य होने से न्यायालय की अनुमति से उक्त प्रकरण में राजीनामा कराकर, सभी आरोपियों को उन पर लगे अपराध से उन्मुक्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक का नवाचार

युवाओं को मिल रहा पुलिस एवं अग्नि वीर भर्ती परीक्षा की तैयारी का अवसर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देश अनुसार जिले के युवाओं को आगामी पुलिस सब इंस्पेक्टर /आरक्षक भर्ती परीक्षा तथा अग्नि वीर परीक्षा की तैयारी का कैंप प्रारंभ किया गया था, जिसमें लगातार एक सप्ताह से 40 से अधिक बच्चे पहुंच कर तैयारी कर रहे हैं, आज से इस कैंप में लिखित परीक्षा के लिए भी क्लासेस प्रारंभ की गई है। आरक्षक धीरेंद्र गुर्जर एवं दिव्या खरवार द्वारा बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है साथ ही सिलेबस की कॉपी प्रदान कर उसके अनुसार तैयारी करने का गाइडेंस भी प्रदान किया जा रहा है। प्रतिदिन क्लास लेकर बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है। इस कैंप में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे पहुंच रहे है। आगामी भर्ती परीक्षाओं में अधिक से अधिक अनूपपुर जिले के युवाओं का चयन हो हमारा ऐसा प्रयास है।

गांव-गांव शराब की अवैध बिक्री, नहीं लग रहा अंकुश

ठेकेदार की शह पर गांव गांव पहुंच रही नशे की खेप

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

कोतमा एक तरफ मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था कि, जहां भी तीर्थ स्थल या मंदिर हो वहां शराब की बिक्री पर रोक लगाया जाए, लेकिन उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है। पवित्र नगरी अमरकंटक क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है , राजेंद्रग्राम अंतर्गत जगह-जगह शराब परोसी जा रही है, वहीं करनपठार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री ठेकेदार के सह पर हो रही है, जैतहरी क्षेत्र में गांव-गांव में अवैध शराब परोसा जा रहा है , वेंकट नगर अंतर्गत छत्तीसगढ़ बॉर्डर होने के करण आए दिन शराब की खेप निकलती रहती है, वहीं रामनगर क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। कोतमा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह शराब की बिक्री की जा रही है । कोतमा नगर में यह है कि ठेकेदार के द्वारा बता दे दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो सुबह अंग्रेजी शराब दुकान खोलते ही बोरी में भरकर मोटरसाइकिल से शराब की पैकारी में लगे लोगों को कोतमा गोविंदा लहसुई बदरा सकोला श्रमिक नगर केवई बैरियर पथरौडी निगवानी लामा टोला विचारपुर गढी सहित आसपास के दर्जनों गांव में सुबह से लेकर देर रात तक करवाया जा रहा है। आलम यह है कि नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के युवा शराब की लत में फंस का अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। जबकि शासन का साफ तौर पर यह निर्देश है कि

निर्धारित दुकान से ही शराब की बिक्री की जाएगी यहां तक की आहातो को भी बंद कर दिया गया है। वावजूद नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों मे खुलेआम अबैध रूप से शराब की बिक्री ठेकेदार के द्वारा करवाई जा रही है। भालूमाडा में जगह-जगह अवैध शराब ठेकेदार के माध्यम से परोसी जा रही है, जिसको लेकर जिले भर सहित कोयलांचल क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। कंपोजिट शराब दुकान में प्रिंट रेट से अधिक शराब बेची जा रही है वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय से लगे गांवो में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है चचाई क्षेत्र के गांव-गांव में शराब की अवैध बिक्री की जा रही है। साथ ही क्षेत्र के दर्जनों ऐसे गांव और मजरे हैं जहां शराब का अवैध कारोबार बेरोकटोक जारी है। क्षेत्र में शराब के कारण दिनों-दिन अपराधों में वृद्धि हो रही है। आसानी से शराब उपलब्ध हो जाने से भोले-भाले ग्रामीण व युवा शराब के आदी हो रहे हैं। देवहरा के खमरिया ढाबे में शराब परोसी जा रही है, साथ ही खम्हरिया के मिडिल स्कूल के बगल से किराना दुकान की आड़ में शराब परोसी जा रही है। विवेक नगर की कॉलोनी में शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है, चचाई में सैलून की दुकान के आड़ में घर-घर शराब पहुंचाई जा रही है। यहां शहडोल जिले से शराब की खेप पहुंचाई जाती है। ग्राम धिरौल में किराना दुकान की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है। पटना कला में हनुमान मंदिर के पीछे और अमिलिहा रोड में किराने दुकान की आड़ में शराब की बिक्री जारी है। अमलाई में शौकीन रेस्टोरेंट पर जमकर शराबखोरी जारी है। गांधीनगर-सोडा फैक्ट्री में गुमटी से शराब की तस्करी की जा रही है। शराब कारोबारी नियम और कानून को ताक पर रखकर व्यापार कर रहे हैं। आबकारी विभाग के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है । दो दिन पूर्व शहडोल जिले से छत्तीसगढ़ ले जाई जा रही अबैध शराब की खेप को अनूपपुर जिले की पुलिस में वाहन सहित पकडते हुए कार्रवाई भी की है । इस कार्रवाई से इस पर मोहर जरूर लग गई है कि यहां की शराब छत्तीसगढ़ में खपाई जा रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर अनूपपुर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

सभी शासकीय सेवकों के अवकाश प्रतिबंधित

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रख समस्त शासकीय सेवकों के अवकाश प्रतिबंधित किए हैं। निर्देशित किया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग समस्त शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्यता उपस्थित रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में यथा स्वंय अथवा स्वंय के परिवार में विवाह, प्रसूति एवं संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वंय के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि के संबंध में जिला स्तर पर कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर विभाग के भारसाधक सचिव द्वारा अवकाश स्वीकृत/अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों के शासकीय सेवकों के अवकाश आवेदनों पर अतिआवश्यक होने पर ही स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने समस्त शासकीय विभागों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।